भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-904
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

दामोदर घाटी निगम प्रभाग

904. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम को उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए तीन संस्थाओं में विभाजित किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी नहीं, दामोदर घाटी निगम डीवीसी अधिनियम, 1948 के तहत निगमित एक वैधानिक निकाय है और इसके कार्यों को अधिनियम की धारा-12 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए स्कीमों का प्रचार और प्रचालन शामिल है। इस मंत्रालय के विचाराधीन उत्पादन, पारेषण और वितरण को तीन संस्थाओं में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****